संख्या-20/2018/2204/77-3-2018-225(एम)/17

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
राजस्व विभाग,
उ0प्र0 शासन।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांकः 03 जुलाई, 2018**

विषयः- उत्तर प्रदेश के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के प्राधिकरणों हेतु गांव सभा की सामान्य व सार्वजनिक उपयोग की भूमि के पुनर्ग्रहण मूल्य को शासनादेश संख्या-63/1761/एक-1-2015-5-1(43)/2009-53 दिनांक 20.11.2015 से पूर्व की व्यवस्थानुसार सर्किल रेट या बाजारू दर के बराबर मूल्यांकन कर भुगतान कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त औद्योगिक प्रयोजनों के लिए अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के प्राधिकरणों हेतु पुनर्ग्रहीत की जाने वाली ग्राम सभा की भूमि हेतु शासनादेश संख्या-63/1761/एक-1-2015-5-1(43)/2009-53 दिनांक 20.11.2015 के प्राविधानों को शिथिल करते हुए उक्त शासनादेश जारी होने की पूर्व की व्यवस्थानुसार सर्किल रेट या बाजारू दर के समतुल्य मूल्य जमा कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- तत्क्रम में उक्त शासनादेश दिनांक 20.11.2015 में यथास्थान संशोधन करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
अवस्थापना एवं औद्योगिक
विकास आयुक्त,

..........2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-20/2018/2204(1)/77-3-2018, तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
02- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 शासन।
03- समस्त मण्डलायुक्त@जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
04- समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
05- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटरनोएडा/यीडा/यूपीडा/गीडा/सीडा/लीडा/यूपीसीडा/यूपीएसआईडीसी
06- चकबन्दी आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
07- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
08- प्रबन्ध निदेशक, उद्योग बन्धु।
09- राजस्व अनुभाग-1
10- सचिवालय के समस्त अनुभाग
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।